

(RBE No.109/2007) on the above subject.

NUR

Railways under Apprentices Act 1961 should be paid stipend with effect from 18th October 2010 at the revised rates as notified in the Ministry of Labour's Notification No.DGET-23(4)(3304)2010-AP dt.28.10.2010 published in Gazette of India Extraordinary (Copy of the notification is enclosed). The expenditure should be met from with the existing budget allotment.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(Anil Wason) Dy.Director(MPP) Railway Board

No.E(MPP)2007/6/3

New Delhi, dated: 9.2.2011

Copy forwarded for information to:

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units, Metro, COFMOW, CORE.

2. The Deputy Controller & Auditor General of India(Railways, Room No.224, Rail Bhawan (with 40 spares)

For Financial Commissioner/Railways

Chas/Policy

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 31/2011

एमसी 8/2008 का एससी सं. 26

सं. ई (एमपीपी)2007/6/3

नई दिल्ली, दिनांक: 9.03.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषयः प्रशिक्षु अधिनियम, 1961-ट्रेड प्रशिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि करना।

उपर्युक्त विषय पर रेल मंत्रालय के दिनांक 23.08.2007 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 109/2007) का अवलोकन करें।

यह विनिश्चय किया गया है कि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भारतीय रेलों में नियुक्त किए गए ट्रेड प्रशिक्षुओं को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की दिनांक 28.10.2010 की अधिसूचना सं. डीजीईटी-23(4) (3304)2010-एपी (अधिसूचना की प्रतिलिप संलग्न है) में यथा अधिसूचित संशोधित दरों पर 18 अक्टूबर 2010 से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। इस पर होने वाला व्यय मौजूदा बजट आबंटन से पूरा किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

अनिल वासन) उप निदेशक (एमपीपी)

रेलवे बोर्ड